<u>न्यायालय: – श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> जिला बैतूल

<u>दांडिक प्रकरण क :- 365 / 12</u> संस्थापन दिनांक :- 30 / 08 / 12 फाईलिंग नं. 233504000452012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रू द्ध

अनिल पिता सीताराम, उम्र 32 वर्ष निवासी रेल्वे कॉलोनी आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....<u>अभियुक्त</u>

<u>-: (नि र्ण य) :--</u>

(आज दिनांक 22.03.2018 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध सार्वजनिक द्यूत अधिनियम की धारा 4(क) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 29.08.2012 को समय 05:00 बजे मुंशी चौक आमला में सट्टा पर्ची / वरली मटका के माध्यम से अंकों अथवा संकेतों पर रूपयों की हार जीत का दावा लगाकर जुएं के प्रचार प्रसार में सहयोग किया।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 29.08.2012 को थाना प्रभारी आर.के. दुबे को करबा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली की अभियुक्त रेल्वे कॉलोनी आमला मुंशी चौक में सट्टा पर्ची लिखकर लोगों से पैसों रूपयों का दाव लगवाकर सट्टा लिख रहा है। सूचना पर वह हमराह स्टाफ के मौके पर पहुंचा और अभियुक्त को हमराह स्टाफ की मदद से पकड़ा तथा उसके कब्जे से एक सट्टा पर्ची, एक लीड पेन एवं नगदी 110/— रूपये गवाहों के समक्ष जप्त किया। अभियुक्त का कृत्य धारा 4(क) जुआ एक्ट के अधीन पाये जाने पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया तथा थाने वापस आकर अपराध क. 282/12 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
- 3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

"क्या अभियुक्त ने दिनांक 29.08.2012 को समय 05:00 बजे मुंशी चौक आमला में सट्टा पर्ची के माध्यम से अंकों पर रूपयों की हार जीत का दावा लगाकर जुआं खेला ?"

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

- 5 आर.के. दुबे (अ.सा.—3) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 29.08. 2012 को थाना आमला में टी.आई. के पद पर पदस्थ रहते हुए करबा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर हमराह स्टाफ के साथ रेल्वे कॉलोनी आमला मुंशी चौक पहुंचा तथा हमराह स्टाफ की मदद से अभियुक्त को पकड़ा एवं उसके कब्जे से सट्टा पर्ची, एक लीड पेन, नगदी 110/— रूपये जप्त कर (प्रदर्श पी—1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श पी—2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क. 282/12 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी—3) लेख की थी।
- 6 जाकिर खान (अ.सा.—1) एवं कोमल (अ.सा.—2) ने दिनांक 29.08. 2012 को निरीक्षक आर.के. दुबे के साथ कस्बा भ्रमण गये थे। साक्षीगण ने यह भी प्रकट किया है कि रेल्वे कॉलोनी आमला पर मुंशी चौक पर अभियुक्त सट्टा पर्ची लिखकर लोगों से पैसे रूपये का दांव लगवाकर सट्टा लिख रहा था जिस पर उन्होंने अभियुक्त को पकड़ा एवं उसके कब्जे से एक सट्टा पर्ची, एक लीड पेन एवं नगद 110 / रूपये आर.के. दुबे द्वारा जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया था।
- 7 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी विजय एवं कमलेश के अदम पता होने से उसकी साक्ष्य न्यायालय में अंकित नहीं की जा सकी है। अभिलेख पर जाकिर खान (अ.सा.—1), कोमल (अ.सा.—2) एवं आर.के दुबे (अ.सा.—3) की साक्ष्य उपलब्ध है। आर.के. दुबे (अ.सा.—3) ने न्यायालयीन परीक्षण में मुखबिर से सूचना मिलने पर रेल्वे कॉलोनी मौके पर जाना और वहां पर हमराह स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर अभियुक्त को पकड़ा तथा उसके कब्जे से सट्टा पर्ची, लीड पेन, नगद 110/— रूपये गवाहों के समक्ष जप्त करना। तत्पश्चात उसे गिरफ्तार करना और गिरफ्तारी के उपरांत थाना आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करना बताया है। जाकिर खान (अ.सा.—1) एवं कोमल (अ.सा.—2) ने कस्बा भ्रमण के दौरान सूचना मिलने पर टीआई आरके दुबे के साथ मौके पर जाना, अभियुक्त को घेराबंदी कर पकड़ा, उसके कब्जे से सट्टा पर्ची, एक लीड पेन, नगद 110/— रूपये उनके समक्ष आरके दुबे के द्वारा जप्त करना बताया है।
- 8 जाकिर खान (अ.सा.—1) एवं कोमल (अ.सा.—2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि प्रकरण में सारी कार्यवाही टीआई आरके दुबे ने की थी। साक्षीगण ने इस सुझाव को सही बताया है कि अभियुक्त किसकी पर्ची काट रहा था और किसको सट्टा पर्ची का दांव लगा रहा था इस बात की उन्हें जानकारी नहीं है

और न ही उन्होंने ऐसा देखा था। आर.के. दुबे (अ.सा.—3) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि जप्ती की कार्यवाही मौके पर की गयी थी। जप्ती पत्रक पर सीलबंद करने का कोई उल्लेख नहीं है। साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त से कोई सट्टा पर्ची या धनराशि जप्त नहीं की गयी थी।

- 9 प्रकरण में जप्ती पत्रक के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि अभियुक्त से मात्र कुछ नंबर लिखी हुई पर्ची जप्त की गयी है जिससे कि यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि अभियुक्त द्वारा इन नंबरों से किस प्रकार सट्टा लगाया जा रहा था। साथ ही विवेचक साक्षी के कथनों से यह भी प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्त के द्वारा खेला जा रहा खेल कौशल पर आधारित न होकर जुआं था। अतः ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होता है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जा जाना उचित प्रतीत होता है।
- 10 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 29.08.2012 को समय 05:00 बजे मुंशी चौक आमला में सट्टा पर्ची के माध्यम से अंकों पर रूपयों की हार जीत का दावा लगाकर जुआं खेला। अतः अभियुक्त अनिल को सार्वजनिक द्यूत अधिनियम की धारा 4(क) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
- 11 प्रकरण में जप्त 110/— रूपये राजसात किये जाते है एवं एक सट्टा पर्ची तथा लीड पेन अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट किये जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।
- 12 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 13 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)